Faridabad Plot Built Properties in all Sectors
SYNDICATE
ESTATE AGENCY
Ind. Plot no. 11, Sector-15A, Faridabad.
Ph. : (o) 2284588
(R) : 2224288
Spl. In - Residential, Commercial & Industrial

मेहनतकशों का पैग़ाम मेहनतकशों के नाम
Email : mazdoormorcha@yahoo.co.in

मज़दूर मोर्चा

पाक्षिक

नेट पर उपलब्ध :
www.mazdoormorcha.com
Postal Reg. No. L/H.R/FBD/463-06/R.N.I. No. 66400/97

ANCHOR ROADLINES
(Regd) SCO - 29, Shoping Centre, Sec. - 11D, FBD.
Daily Parcel Service
For : Noida, Surajpur, Kasna, Ghaziabad, Haridawar, Gurgaon, Manesar, Dharuhera, Bhiwadi, Vice Varsa
24, Hours Service
Phones : 2285044, 2291388

वर्ष 22 अंक 22 वीरवार, फरीदाबाद, 1-15 अक्टूबर, 2009 फोन : -2410196,9999595632 सहयोग राशि 1 रुपया

68 लाख रुपये कोर्ट में जमा कराये बैठा

न्यायपालिका की नौटंकी कब तक देखते रहें परस राम ?

फ़रीदाबाद (म.मो.) सेक्टर 15 ए निवासी परस राम ने सन् 2003 में राजकुमार जैन से सेक्टर 31 स्थित बंगाल सूटिंग्ज़ नामक फ़ैक्ट्री के एक भूखंड का सौदा तय करके 22 लाख रुपये बतौर बयाना दे कर एक समझौता लिख लिया तथा कब्ज़ा ले लिया। समझौते के अनुसार 6 से 9 माह के बीच परस राम शेष 68 लाख रुपये जैन को अदा करके प्लॉट की रजिस्ट्री करा लेगा। उस समय बाज़ार में तेज़ी के चलते उस प्लॉट के भाव बढ़ने से जैन बेईमान हो गया। वह तय तिथियों 5.5.04 व 13.5.04 को रजिस्ट्री कराने तहसील नहीं पहुंचा तो परस राम ने तहसील में अपनी हाजरी दर्ज कराई और 16.7.04 को तत्कालीन सब जज मधु खन्ना की कोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया। कोर्ट ने स्थगन आदेश जारी कर दिया कि विक्रेता जैन कोर्ट का फ़ैसला होने तक प्लॉट को कहीं और बेचेगा नहीं।

मधु खन्ना के बाद आये सब जज पुष्पेंद्र यादव ने स्थगन आदेश पक्का करते हुये परस राम द्वारा विक्रेता जैन को दी जाने वाली रकम 68 लाख रुपये कोर्ट में जमा कराने का आदेश दिया जो कि परस राम द्वारा 1.6.07 को बजरिया चेक कोर्ट में जमा करा दिये गये। इसके अलावा 3 लाख 64 हज़ार रुपये बतौर कोर्ट फ़ीस भी दिनांक 7.8.06 को जमा करा दी गई थी। इस आदेश के विरुद्ध दूसरा पक्ष अतिरिक्त सैशन जज जगबीर सिंह दहिया की कोर्ट में जा पहुंचा। यहां उन्होंने 22 लाख रुपये की एक नकली रसीद पेश करते हुए कहा कि परस राम ने अपने 22 लाख वापस ले लिये हैं और डील समाप्त कर दी है। जबकि वहीं खड़ा परस राम और उनका वकील चिल्लाते रहे कि रसीद व उस पर परस राम के हस्ताक्षर नकली हैं तथा डील समाप्त नहीं हुई है। लेकिन दहिया ने इसे अनसुना करते हुए दिनांक 9.12.06 को स्थगन आदेश तोड़ दिया। इसके टूटने के दो दिन बाद ही असल मालिक राजकुमार जैन की जगह किसी रविन्द्र कुमार जैन ने रामकिशोर अग्रवाल के नाम पर रजिस्ट्री करा दी। यद्यपि परस राम ने तुर्त-फ़ुर्त दहिया के आदेश की नकल ले कर हाई कोर्ट में भी फ़रियाद की, लेकिन जब डेढ़ माह बाद वहां सुनवाई का नंबर आया तब तक दूसरा पक्ष दहिया के आदेश का लाभ उठा चुका था। परस राम का मानना है कि दहिया ने यह कारनामा कोई मुफ़्त में नहीं कर दिखाया था, इसके लिये बाकायदा लेन-देन हुआ था, जिसकी उसने बाकायदा शिकायत हाई कोर्ट में भी कर दी थी।

कार्यवाही के नाम पर हाई कोर्ट ने मामला पुन: ट्रायल कोर्ट में भेज दिया जहां तारीख पर तारीख लगाने का सिलसिला शुरू हो गया। इसी बीच 6.10.08 को हाई कोर्ट के जज प्रीतम पाल, जो उस वक्त फ़रीदाबाद के प्रशासनिक जज थे,

शेष पेज 2 पर

फ़र्जी रजिस्ट्री होने के बाद शुरू हुआ पुलिस का ड्रामा

नकली आर के जैन द्वारा रजिस्ट्री कराते ही रामकिशोर ने इलाके के बदमाशों व पुलिस की सहायता से परस राम का कब्ज़ा हटा कर अपना कब्ज़ा कर लिया। उधर जब परस राम को पता चला तो वह भी पुलिस में गया। कोई सुनवाई न होने पर कोर्ट के माध्यम से धारा 156 (3) के तहत थाना सेक्टर 31 में एफआईआर नं. 187 दिनांक 29.8.06 को भा.दं.सं. की धारा 420, 444, 467, 468, 471 व 506 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज हो गया। मुकदमा बिल्कुल सीधा था। राजकुमार जैन ने 22 लाख रुपये बतौर बयाना ले कर परस राम से एक समझौता कर रखा था और किसी रविन्द्र कुमार जैन ने समझौता के विरुद्ध ज़मीन की रजिस्ट्री रामकिशोर अग्रवाल के नाम करा दी। हालांकि पुलिस की सेवा-पानी पर 20,000 रुपये तो परस राम ने भी खर्च कर दिये,

शेष पेज 2 पर

अपराधी जज की गिरफ़्तारी नहीं : हाई कोर्ट

जजों को अपराध करने की पूरी छूट

पानीपत (म.मो.) थाना सम्हालका पुलिस ने व्यभिचार के एक मामले में दिल्ली के एक सब जज (मेट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट) राजकुमार अग्रवाल को तीन अन्य लोगों के साथ 27 अगस्त को रंगे हाथों पकड़ा था। यह मैजिस्ट्रेट हर माह में दो-चार बार किसी न किसी लड़की को ले कर सम्हालका के एक मुहल्ले में अपने एक मित्र के यहां रंगरलियां मनाने आता था। तंग आये मुहल्ले वालों की शिकायत पर पुलिस ने छापा मार कर लड़की समेत चार जनों को हिरासत में ले लिया।

थाने में पहुंच कर पकड़े गये चारों में से एक ने कहा कि वह दिल्ली में मैजिस्ट्रेट है। पहले तो पुलिस को विश्वास ही नहीं हुआ कि मैजिस्ट्रेट स्तर का भी कोई आदमी इस तरह के कुकर्म कर सकता है। लेकिन पुष्टि होने के बाद तो पुलिस का रवैया एकदम बदल गया।

उसे फ़र्श से उठा कर कुर्सी पर बैठाया गया और उसे अपराधी न कह कर 'सर-सर' कहने लगे, जबकि उसी अपराध में शामिल उसके तीनों साथियों के साथ पुलिस का रवैया ज्यों का त्यों रहा तथा उन्हें अनैतिक देह व्यापार 1956 की धारायें 3, 4, 5 व 6 के तहत बंद हवालात कर दिया गया। मैजिस्ट्रेट साहब को जाने दिया गया। इसके लिये कानून में प्रावधान तो केवल इतना है कि किसी भी न्यायिक अधिकारी को गिरफ़्तार करते वक्त पुलिस सैशन एवं हाई कोर्ट को सूचित करेगी। परंतु सुप्रीम कोर्ट के एक फ़ैसले ने इस प्रावधान को अनुमति में बदल दिया। यानी कि सूचना देना ही पर्याप्त नहीं है, गिरफ़्तारी की अनुमति लेना आवश्यक है। इसी प्रावधान के तहत पानीपत पुलिस ने स्थानीय सैशन जज तथा पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट को जब सूचित किया तो उनकी ओर से कहा गया कि इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट से पूछा जाये। वहां से पूछने पर जवाब मिला कि उसे पुलिस गिरफ़्तार नहीं कर सकती। न्यायपालिका अपने स्तर पर जांच-पड़ताल एवं आवश्यक कार्यवाही करेगी। पानीपत के एक जाने-माने मज़दूर नेता एवं समाज से पी.पी.कपूर ने सूचना के अधिकार कानून के तहत दिल्ली हाई कोर्ट से पूछा कि दोषी मैजिस्ट्रेट के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है? जवाब में कोर्ट के जनसूचना अधिकारी ने बताया कि इस मामले पर कोर्ट की एक कमेटी ने विचार-विमर्श कर फ़ैसला किया है कि दोषी को पुलिस को न सौंप कर विभागीय कार्यवाही की जायेगी।

शेष पेज 2 पर

चुनावी घमासान ज़ोरों पर

लूट के लिये सत्ता में हिस्सेदारी चाहिये

विशेष प्रतिनिधि

मई 2009 में हुए लोकसभा चुनावों में अपनी अप्रत्याशित जीत से उत्साहित कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा के चुनाव भी निश्चित समय से करीब छ:-सात माह पहले यानी कि अक्तूबर में संपन्न कराने का निर्णय लिया। 13 अक्तूबर को होने वाले इन चुनावों में राज्य की सत्ता हथियाने के लिये घमासान पूरे ज़ोरों पर है। सत्ता हथियाने की इस होड़ में किसी भी राजनीतिक दल की कोई भी नीति किसी से नहीं टकराती। मुख्य प्रतिद्वंद्वी दलों में कांग्रेस को छोड़ कर सभी दल एक-दूसरे से समझौता करने के प्रयास कर चुके हैं। ज़ाहिर है, सबकी नीति एवं लक्ष्य केवल सत्ता हथियाना रहा है। अकेले अपने बल-बूते पर कांग्रेस से सत्ता छीनने में अपने को असमर्थ पा कर कभी चौटाला ने भाजपा से तो भाजपा ने भजनलाल से तो कभी भजनलाल ने मायावती से गठजोड़ करने के प्रयास किये। परंतु संभावित सत्ता की लूट में भागीदारी को लेकर कोई भी गठजोड़ सिरे नहीं चढ़ सका।

यहां गौरतलब बात यह है कि इन राजनीतिक दलों में से किसी को किसी से कोई परहेज नहीं है। किसी की भी नीतियां किसी से नहीं टकरातीं; केवल जनता को भ्रमित करने के लिये एक-दूसरे को गालियां देने वाले या कोसने वाले ये दल सत्ता हथियाने के लिये एक होने को सर्वथा तैयार रहते हैं और जब कभी भी झगड़ा होता है तो लूट के माल पर। कांग्रेस की नीतियां भी इनसे कहीं न्यारी नहीं हैं। जहां इनकी अकेले दाल नहीं गलती, वहां ये भी सत्ता हथियाने के लिये किसी से भी समझौता करने में गुरेज़ नहीं करते। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडू इत्यादि इसके जीवंत उदाहरण हैं। और जब यह सशक्त हो जाती हैं तो दूसरे हिस्सेदार घटक को बाहर का रास्ता दिखा देती हैं।

आज कांग्रेस की टिकट का भाव लाखों से ले कर करोड़ों तक का है। इसके बाद चुनाव लड़ने पर करोड़ों का खर्च अलग से। आख़िर लोग़ क्यों इतना पैसा खर्च करके भी विधायक बनना चाहते हैं? जिसने यह सवाल समझ लिया, उसके लिये सत्ता द्वारा लूट में होने वाली भागीदारी को समझना कठिन नहीं। टिकटों के मोलभाव और चुनाव का खर्च केवल कांग्रेसी ही नहीं, सभी दलों के लोग़ करते हैं।

लोकसभा चुनाव में हरियाणा कांग्रेस को 10 में से 9 सीटों पर जो अप्रत्याशित विजय हासिल हुई, उससे पूरे प्रदेश के कांग्रेसियों की आंखें फूल गयी। उनकी स्थिति सावन के उस अंधे जैसी हो गई जिसे सब हरा ही हरा दिखता है। यह स्थिति सही भी हो सकती है, यदि कांग्रेस में अनुशासन और त्याग की ज़रा सी भी भावना हो। लेकिन यहां तो हर छोटा-मोटा कांग्रेसी टिकट पा कर विधायक बनने का ख्वाब देख रहा है। उसका विश्वास है कि बस एक बार टिकट मिल जाये फ़िर विधायक तो वह बना पड़ा है। इसी के चलते लगभग सभी सीट पर कांग्रेसियों में भीतर ही भीतर जबरदस्त मारामारी चल रही है। यह मारामारी टिकटें मिलने के बाद भी समाप्त होने वाली नहीं लगतीं। जिन-जिन को टिकट नहीं मिलेगी, वे टिकटधारकों की टांग खींचने में पूरा ज़ोर लगा देंगे। यही भीतरघात कांग्रेस को काफ़ी महंगा पड़ सकता है।

विदित है कि आज कांग्रेस की टिकट का भाव लाखों से ले कर करोड़ों तक का है। इसके बाद चुनाव लड़ने पर करोड़ों का खर्च अलग से। आख़िर लोग़ क्यों इतना पैसा खर्च करके भी विधायक बनना चाहते हैं? जिसने यह सवाल समझ लिया, उसके लिये सत्ता द्वारा लूट में होने वाली भागीदारी को समझना कठिन नहीं। टिकटों के मोलभाव और चुनाव का खर्च केवल कांग्रेसी ही नहीं, सभी दलों के लोग़ करते हैं। अंतर केवल इतना होता है कि जिस टिकट पर चुनाव जीतने के आसार अधिक होते हैं, उसका मोल अधिक होता है और वह इसलिये कि उसे चुनाव लड़ने में कम मेहनत व खर्चा करना पड़ता है। दूसरे दलों की टिकट यदि सस्ती है तो वह इसलिये कि उस पर लड़ने वाले को चुनाव में मेहनत और खर्चा कहीं अधिक करना पड़ता है।

दूसरे शब्दों में यह एक विशुद्ध व्यापार है। किसी भी व्यापार में पूंजीनिवेश जिस तरह से मुनाफ़े के लिये किया जाता है, वैसे ही आज राजनीति में भी निवेश मोटे मुनाफ़े की उम्मीद से किया जा रहा है। जो जितना अधिक निवेश कर पायेगा, वह उतना ही अधिक मुनाफ़ा कमा पायेगा।

शेष पेज 2 पर